न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव** (आई0ए0एस0)

वाद सं0 : 176 सन 2011

अनवान :–

1. रजाक पुत्र ईशा जाति व्यापारी मु0 साकिन नोहर तहसील नोहर (मृतक)
   1/1. नसीवन पत्नी रजाक जाति व्यापारी साकिन नोहर तहसील नोहर।
   1/2. बसीरा 1/3. मोहम्मद सतार 1/4 मैमुना 1/5 मोहम्मद युनुस 1/6 मुश्ताक 1/7 बानो 1/8 मोहम्मद हुसैन पि0 रजाक जाति व्यापारी साकिन नोहर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सादक 2. श्योकत 3. समुन 4. जैना 5. जुलेखा पुत्र/पुत्रीयान सुलेमान जाति व्यापारी साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. मोहम्मद अली 7. जैतुन 8. रूबीया 9. सफीया 10. हसमत 11 माफीया पुत्र/पुत्रीया इब्राहिम जाति व्यापारी साकिन नोहर तहसील नोहर।
12. मंजूर अली 13. इन्दो बानो 14 रजीया 15 जरीना पुत्र/पुत्रीया शकीना पुत्री ईशा जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री संजय जोशी अधिवक्ता .प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/12/25

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादी के पिता ईशा की सम्वत 2012 से पूर्व की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक देईदासपुरा के साबिका खसरा न0 130 की 29.16 बीधा कब्जा काश्त की भूमि थी उक्त भूमि रोही मोजा चक देईदासपूरा के साबिका खसरा न0 130 बी 29.16 बीधा के हाल खसरा न0 189 की 5.7160हैक्व में परिर्वतन व पैमुद हुई थी

रोही मौजा चक देईदासपुरा के साबिका खसरा न0 130 की 29.16 बीधा भूमि ईशा की पैदा करदा भूमि थी सदेव से ही उसके कब्जा काश्त में रही वर्तमान में भी ईशा के वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है वर्तमान वाद भूमि ईशा के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु सुलेमान एक तेज तर्रार व्यक्ति है जिसने बिना कानून ईशा को परेशान करता था और राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना कब्जा काश्त दिखाकर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 19 का फायदा उठाते हुए अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली जो विधि विरूद्व है व प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी गलत दस्तावेजो के आधार पर दर्ज करवाई है

वादी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है कि उक्त भूमि स्व ईशा की पैदा करदा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि [illegible] सुलेमान प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नही हे अतः मृतक सुलेमान का नाम [illegible] वादी 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या [illegible] ता 15 का 1/3 हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:51:44 IST
Reason: SelfAttested

सुलेमान प्रतिवादी ईशा व उसकी पत्नी से मारपीट करता था जिसके कारण वे लोग सुलेमान से डरते थे इसी कमजोरी का फायदा उठा कर सुलेमान ने ईशा के कब्जा काश्त

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्व है जिससे वादी के हको का हनन होता है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुलेमान के नाम दर्ज है जिसका फायदा उठाकर वह कभी भी वाद भूमि को रहन बेय या अन्य प्रकार से अन्तरण कर सकता है इसलिये प्रतिवादी सुलेमान या उसके वारिसान को पाबन्द करवाने के अधिकारी है तथा वादी व प्रतिवादी के कब्जा काश्त में दखल नही करने हेतु पाबन्द करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी को कई बार निवेदन किया की सुलेमान ने फर्जी तौर से वादी के हक हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवाई है जिसे वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 के नाम दर्ज करवा देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा चक देईदासपुरा के खसरा न0 130 की 28.16 बीधा वर्तमान खसरा न0 189 की 5.7160हैक्‍ ईशा की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 का 1/3 हिस्सा दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 4 ता 15 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब वादग्रस्त भूमि मृतक सुलेमान पुत्र रहीमबक्स की अपने परिवार से अलग होकर सम्वत 2012 से पहले की निकाली हुई है और उसी समय से पहले सुलेमान के कब्जा काश्त में व सुलेमान के देहान्त होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है और रकमराज अदा करते आ रहे है मृतक ईश ने वाद भूमि कभी नही निकाली व ना ही कभी कोई रकम राज अदा नही की गइ है ना ही उक्त भूमि कभी उसके कब्जा काश्त मे रही है वादी ने वाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है वादी वाद भूमि का किसी भी श्रेणी का काश्तकार नही है वादी ने आवश्यक पक्षकारो को भी पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये वाद वादी चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक देईदासपुरा के साबिका खसरा न0 130 हाल खसरा न0 189 की 5.7160हैक्‍ भूमि वादी के पूर्वज ईशा की सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा भूमि थी जिसके ईशा खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा चक देईदासपुरा के साबिका खसरा न0 130 की 29.16 बीधा भूमि ईशा की पैदा करदा भूमि थी सदेव से ही उसके कब्जा काश्त में रही वर्तमान में भी ईशा के वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है वर्तमान वाद भूमि ईशा के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु सुलेमान राजस्व रिकार्ड में अपना कब्जा काश्त दिखाकर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 19 का फायदा उठाते हुए अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली जो विधि विरूद्व है वाद भूमि सुलेमान के कब्जा काश्त की भूमि ना होकर वादी के पूर्वज ईशा के कब्जा काश्त की भूमि थी जिसे कूटरचिज तौर से सुलेमान ने अपने नाम दर्ज करवाई वाद भूमि वादी के पूर्वजो की भूमि है जिसे वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 15 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता की लिखित बहस प्रस्तुत की गई जाकर बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि मृतक सुलेमान पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:51:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रहीमबक्स की अपने परिवार से अलग होकर सम्वत 2012 से पहले की निकाली हुई है और उसी समय से पहले सुलेमान के कब्जा काश्त में व सुलेमान के देहान्त होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है और रकमराज अदा करते आ रहे है मृतक ईश ने वाद भूमि कभी नही निकाली व ना ही कभी कोई रकम राज अदा नही की गइ है ना ही उक्त भूमि कभी उसके कब्जा काश्त मे रही है वादी ने वाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है वादी वाद भूमि का किसी भी श्रेणी का काश्तकार नही है वादी ने आवश्यक पक्षकारो को भी पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये वाद वादी चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज ईशा की नोतोड करदा भूमि है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वज सुलेमान की नोतोड करदा भूमि है

पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 जो वादी के द्वारा प्रस्तुत की गई है के अनुसार रोही मोजा चक देईदासपुरा के साबिका खसरा न0 130 की भूमि सुलेमान वल्द रहीमबक्स के नाम से दर्ज है इससे पूर्व का कोई भी दस्तावेजात वादी के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी के अनुसार सुलेमान वल्द रहीमबक्स वाद भूमि का काश्तकार था वादी के पूर्वज ईशा का साबिका खसरा न0 130 की भूमि में नाम ही अंकित नही है अर्थात वाद भूमि सुलेमान पुत्र रहीमबक्स की नोतोड करदा साबित है

वादी ने अपने वाद के सर्मथन में ऐसा कोई भी साक्ष्य /दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे वादी के पूर्वज ईशा साबिका खसरा न0 130 हाल खसरा न0 189 की भूमि का काश्तकार साबित होता हो इसके विपरित जितने भी दस्तावेजात पेश किये गये है उन सभी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज सुलेमान वल्द रहीमबक्स की काश्त दर्ज है अर्थात वादी के पूर्वज के द्वारा भूमि नोतोड करदा नही है बल्दी सुलेमान पुत्र रहीमबक्स की भूमि नोतोड करदा साबित होती है।

पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 115 के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा के साबिका खसरा न0 130 की भूमि सुलेमान वल्द रहीमबक्स के द्वारा काश्त व कब्जा काश्त में होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है अर्थात वादी के पूर्वज का पूर्व में भी साबिका खसरा न0 130 की भूमि पर काश्त नही थी।

जिस नामान्तकरण ने सुलेमान को खातेदारी अधिकारी दिये गये थे उसी नामान्तकरण में वादी के पूर्वज ईशा के कब्जा काश्त की अन्य खसरा की भूमि के खातेदारी अधिकारी दिये गये थे अर्थात वादी के पूर्वज को उक्त नामान्तकरण का पूर्ण ज्ञान था

वादी ने यह वाद वर्ष 2011 में पेश किया गया है वादी ने इतने लम्बे समय वाद पेश करने का कोई सन्तोषजनक कारण व्यक्त नही किया गया अर्थात वादी एवं उसके पूर्वजो के द्वारा सुलेमान का वाद भूमि पर कब्जा स्वीकार करते आ रहे थे तो इतने लम्बे समय के उपरान्त वाद पेश करने का क्या औचित्य है व्यक्त नही किया गया है मात्र कथनो के आधार पर वाद पेश किया गया है कथनो के आधार पर वाद किसी प्रकार की घोषणा करवाने का नही है

वादी ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे वादी का वाद भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक [illegible] या पूर्व में वादी के पूर्वजो का कोई हक हिस्सा या कब्जा काश्त साबित होता है मात्र कथन किया जाकर वाद पेश किया गया है कथनो के आधार पर कोई वाद हैतुक साबित नही होता है राजस्व न्यायालय में दस्तावेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:51:44 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के आधार पर ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकता है मौखिक कथनो के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वाद भूमि की रकमराज जमा करवाने की रसीद प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार वादी के पूर्वज सुलेमान मे द्वारा समय समय पर रकमराज जमा करवाई जाती रही है वादी ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे वाद भूमि पर किसी प्रकार का हक हिस्सा साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा चक दईदासपूरा के साबिका खसरा न0 130 हाल खसरा न0 189 की भूमि कभी वादी या उसके पूर्वज ईशा के कब्जा काश्त में होने या वादी के पूर्वज ईशा के द्वारा नोतोड की गई थी के सम्बध में कोई भी दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये जबकि पत्रावली में जो भी दस्तावेज वाद या प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत किये गये है सभी में सुलेमान वल्द रहीमबक्स के द्वारा नोतोड करदा व कब्जा काश्त अंकित है अर्थात वाद भूमि ईशा या उसके वारिसान के कभी भी कब्जा काश्त में नही रही है सम्वत 2012 से आदिनांक तक सभी दस्तावेजात में सुलेमान पुत्र रहीमबक्स की काश्त दर्ज रही है अर्थात वाद भूमि सुलेमान की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि साबित होती है वादी या उसके पूर्वजो का वाद भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है ना ही किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:51:44 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रजाक पुत्र ईशा जाति व्यापारी मु0 साकिन नोहर तहसील नोहर (मृतक)
   1/1. नसीवन पत्नी रजाक जाति व्यापारी साकिन नोहर तहसील नोहर।
   1/2. बसीरा 1/3. मोहम्मद सतार 1/4 मैमुना 1/5 मोहम्मद युनुस 1/6 मुश्ताक 1/7 बानो 1/8 मोहम्मद हुसैन पि0 रजाक जाति व्यापारी साकिन नोहर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सादक 2. श्योकत 3. समुन 4. जैना 5. जुलेखा पुत्र/पुत्रीयान सुलेमान जाति व्यापारी साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. मोहम्मद अली 7. जैतुन 8. रूबीया 9. सफीया 10. हसमत 11 माफीया पुत्र/पुत्रीया इब्राहिम जाति व्यापारी साकिन नोहर तहसील नोहर।
12. मंजूर अली 13. इन्दो बानो 14 रजीया 15 जरीना पुत्र/पुत्रीया शकीना पुत्री ईशा जाति मुसलमान साकिन नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 176 सन 2011 निर्णय दिनांक– 23/12/25

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एव अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:51:44 IST
Reason: SelfAttested